

# DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 08-11-25



## The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

**Saturday, 08 Nov , 2025**

### Edition : International Table of Contents

|                                                                               |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Page 01</b><br><b>Syllabus : GS 2 : Social Justice / Prelims</b>           | <b>आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाएं : सुप्रीम कोर्ट</b>                                         |
| <b>Page 01</b><br><b>Syllabus : Prelims</b>                                   | <b>देश में कोई भी यह नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी: सुप्रीम कोर्ट</b>                                  |
| <b>Page 01</b><br><b>Syllabus : GS 2 : Indian Polity / Prelims</b>            | <b>रोल के विशेष पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली अपीलों पर मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट</b> |
| <b>Page 03</b><br><b>Syllabus : GS 2 : International Relations</b>            | <b>'आप लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकते और कह सकते हैं कि आप सहमति से शासन कर रहे हैं'</b>    |
| <b>In News</b><br><b>Syllabus : GS 3 : Indian Economy</b>                     | <b>जीएसटी से पहले और बाद में राजस्व संग्रह पर राज्य कहां खड़े हैं</b>                                      |
| <b>Page 06 : Editorial Analysis</b><br><b>Syllabus : GS 2 : Indian Polity</b> | <b>एक व्यापक SIR में गति होती है लेकिन यह अभी भी एक टेस्ट केस है</b>                                       |

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक संस्थानों और स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों जैसे स्थानों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाने और नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें निर्दिष्ट आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश कुत्ते के काटने की घटनाओं में तेज वृद्धि और सुरक्षा, स्वच्छता और पशु प्रबंधन पर बढ़ती सार्वजनिक चिंता के बीच आया है।

# Remove stray dogs from public places, says SC

Court orders the neutering and vaccination of dogs before relocation to a designated shelter

Animals removed from public places must not be released back into the same locality, it adds

The court also ordered the removal of cattle from highways to reduce frequent accidents

**Aaratrika Bhaumik**  
NEW DELHI

Expressing concern over the “disturbing increase” in dog-bite incidents across the country, the Supreme Court on Friday directed all the States and the Union Territories to “forthwith” remove stray dogs from educational institutions, hospitals, sports complexes, bus stands and depots, and railway stations, and relocate them “to a designated shelter”. The dogs have to be sterilised and vaccinated in accordance with the Animal Birth Control (ABC) Rules, 2023 before relocation.

A Bench of Justices Vikram Nath, Sandeep Mehta, and N.V. Anjaria directed that stray canines removed from such premises shall not be released back into the same locality. “We have consciously directed

the non-release of such stray dogs to the same location from which they were picked up, as permitting the same would frustrate the very effect of the directions issued to liberate such institutional areas from the presence of stray dogs,” the Bench said.

The directions were issued in the *suo motu* proceedings aimed at framing a national framework for stray dog management and ensuring compliance with existing regulations.

Placing the responsibility of implementation on local bodies, the court directed the respective municipal authorities to ensure

the immediate removal of stray dogs and to submit compliance reports within eight weeks, detailing the remedial measures undertaken to secure adherence to the court’s directions.

Also, the Bench acknowledged that accidents involving cattle and stray animals on roads have

become “alarmingly frequent”. It directed the National Highways Authority of India, and transport and municipal authorities to ensure the removal of cattle and other stray animals from the highways. The matter will be taken up again on January 13, 2026.

All local self-government institutions have been directed to ensure that the premises of such establishments are properly secured with fencing, boundary walls, and gates to prevent the ingress of stray animals.

**Survey to follow**

This will be preceded by a survey conducted by State governments, to be completed within two weeks, identifying all government and private educational institutions from where stray canines have to be removed.

The Bench also mandated that each institution designate a nodal officer for upkeep and surveillance of each such premise. It has also ordered the conduct of regular inspections at least once every three months, to ensure that no stray canines exist within or in the immediate vicinity of such institutions.

“Any lapse in this regard shall be viewed seriously, and responsibility shall be fixed upon the concerned officials/administrative authorities,” the Bench cautioned.

The Bench on Friday also took on record the report filed by senior advocate Gaurav Agrawal, who is assisting the Bench as *amicus curiae*. Mr. Agrawal had flagged “several grave deficiencies and shortcomings” in the implementation of the court’s earlier directions, particularly with respect to compliance with its August 22 order

permitting the release of sterilised dogs back into their localities in accordance with the ABC Rules, except in cases involving rabid or aggressive animals.

The Bench further directed that all government and private hospitals maintain a constant stock of anti-rabies vaccines. It also mandated the adoption of effective waste-management systems to eliminate food sources that attract stray animals.

Additionally, the Animal Welfare Board of India, which is a party to the proceedings, was instructed to frame comprehensive Standard Operating Procedures (SOPs) for the prevention of dog bites and the management of stray dogs. These SOPs, the court said, must be uniformly implemented across all States and Union Territories.



**Time to act:** The Supreme Court Bench directed all government and private hospitals to maintain a constant stock of anti-rabies vaccines, on Friday. B. VELANKANNI RAJ

पृष्ठभूमि और संदर्भ

भारत में अनुमानित 1.5-2 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, और हाल के वर्षों में कुत्ते के काटने के मामले तेजी से बढ़े हैं – स्वास्थ्य मंत्रालय ने अकेले 2023 में 1.8 करोड़ से अधिक कुत्तों के काटने की सूचना दी है। इस मुद्दे ने सार्वजनिक सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच तनाव पैदा कर दिया है, जिससे पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 की परस्पर विरोधी व्याख्याएं सामने आई हैं, जो निष्फल कुत्तों को उनके मूल इलाके में वापस छोड़ने की अनुमति देती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य विशेषताएं

- 1. सार्वजनिक संस्थानों और ऊंची भीड़ वाले क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को तत्काल हटाना।
- 2. आश्रयों में स्थानांतरित करने से पहले अनिवार्य नसबंदी और टीकाकरण।
- 3. गैर-रिलीज़ क्लॉज - कुत्तों को एक बार हटा दिए जाने के बाद उसी इलाके में वापस नहीं छोड़ा जा सकता है।
- 4. अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों का पदनाम और त्रैमासिक निरीक्षण।
- 5. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राजमार्गों से मवेशियों को हटाना।
- 6. सभी अस्पतालों में एंटी-रेबीज टीकों का लगातार स्टॉक।

7. कुत्तों के काटने की रोकथाम और आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा एसओपी तैयार करना।

## विश्लेषण और निहितार्थ

- सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा: यह कदम सीधे कुत्ते के काटने के बढ़ते मामलों और रेबीज के प्रसार को संबोधित करता है, जो रोगसूचक होने पर लगभग 100% घातक रहता है। नसबंदी और टीकाकरण सुनिश्चित करना पशु और मानव स्वास्थ्य को जोड़ने वाले वन हेल्थ दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- प्रशासनिक चुनौतियाँ: बड़े पैमाने पर स्थानांतरण को लागू करने के लिए नगर निकायों के बीच बुनियादी ढांचे, धन और समन्वय की आवश्यकता होती है। कई शहरी स्थानीय निकाय पहले से ही आश्रय क्षमता और पशु चिकित्सा कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे हैं।
- पशु कल्याण संबंधी चिंताएं: पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है कि उचित सुविधाओं के बिना स्थानांतरण से भीड़भाड़, खराब आश्रय की स्थिति और क्रूरता हो सकती है - जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की भावना के विपरीत है।
- शहरी शासन और अपशिष्ट प्रबंधन: अपशिष्ट निपटान पर सर्वोच्च न्यायालय का जोर मानता है कि अप्रबंधित कचरा आवारा लोगों को आकर्षित करने वाला एक प्रमुख कारक है। इस प्रकार, टिकाऊ पशु प्रबंधन के लिए प्रभावी अपशिष्ट पृथक्करण और निपटान महत्वपूर्ण है।
- कानूनी और नीतिगत महत्व: निर्देश "सामुदायिक कुत्ते के अधिकारों" पर "सार्वजनिक सुरक्षा" की सख्त व्याख्या की ओर एक बदलाव का संकेत देता है, जो एबीसी नियमों पर फिर से विचार करने के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह अनुपालन न करने के लिए स्थानीय अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करके जवाबदेही को भी मजबूत करता है।

## समाप्ति

सर्वोच्च न्यायालय का सक्रिय रुख सार्वजनिक सुरक्षा, पशु कल्याण और प्रशासनिक जवाबदेही को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से निर्देश का स्वागत है, लेकिन इसकी सफलता संस्थागत क्षमता, मानवीय कार्यान्वयन और प्रभावी निगरानी पर निर्भर करेगी। आगे बढ़ते हुए, भारत में स्थायी आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए नसबंदी, आश्रय प्रबंधन और जन जागरूकता को एकीकृत करने वाली एक व्यापक राष्ट्रीय नीति आवश्यक होगी।

**UPSC Prelims Practice Question**

**प्रश्न:** भारत में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों से हटाए गए सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाना चाहिए।
2. कोर्ट ने सभी अस्पतालों के लिए एंटी-रेबीज टीकों का निरंतर स्टॉक बनाए रखना अनिवार्य कर दिया है।
3. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को कुत्ते के काटने की रोकथाम और आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1 और 2                      (b) केवल 2 और 3  
(c) केवल 1 और 3                      (d) 1, 2 और 3

**उत्तर: B)**

**UPSC Prelims Practice Question**

**प्रश्न:** चर्चा करें कि शहरी पशु प्रबंधन भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और शहरी शासन में कैसे योगदान दे सकता है।  
(150 शब्द)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अहमदाबाद (12 जून, 2025) में एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुर्घटना से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें 250 से अधिक लोगों की जान चली गई, ने कहा कि "देश में कोई भी यह नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी आधिकारिक रिपोर्ट में कॉकपिट चालक दल को दोषी नहीं ठहराया गया है और आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो वह औपचारिक रूप से इस स्थिति को दर्ज करेगा।

## No one in the country believes it was pilot's fault: SC on AI Dreamliner crash

Aaratrika Bhaumik  
NEW DELHI

The Supreme Court on Friday orally observed that no fault could be ascribed to the pilot who was commanding the Air India Boeing 787 Dreamliner that crashed shortly after take-off from Ahmedabad on June 12, claiming over 250 lives, and clarified that no official report had held the cockpit crew responsible for the tragedy.

A Bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi said it was even willing to record this position formally as it took up for hearing a petition filed by Pushkar Raj Sabharwal, father of the late Captain Sumeet Sabharwal, seeking a judicially monitored investigation into the crash.



**Flight wreck:** The Air India Boeing 787 Dreamliner that crashed on June 12, claiming more than 250 lives in Ahmedabad. VIJAY SONEJI

Appearing for the petitioner, senior advocate Gopal Sankaranarayanan contended that the preliminary findings of the Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) were "biased and incomplete" and appeared to attribute

the cause of the crash to pilot error while overlooking possible technical and systemic failures that warranted an independent probe.

Citing Rule 12 of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2017, Mr. Sankaranarayanan argued that the Centre

was mandated to institute a formal investigation into the crash. "That has not been done. What we have instead is a preliminary investigation under Rule 9," he submitted.

Allaying the petitioner's concerns that his son was being unfairly blamed, the Bench said, "This is an extremely unfortunate accident. But you should not carry the burden that your son is being blamed. We can always clarify that nobody, and especially the pilot, can be blamed for the tragedy."

The Bench further noted that the preliminary report drew no adverse inference against the pilot. "There is no insinuation against the pilot at all...," Justice Bagchi remarked.

### पृष्ठभूमि और संदर्भ

- अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद एयर इंडिया ड्रीमलाइनर (बोइंग 787) के दुखद दुर्घटना के परिणामस्वरूप हाल के भारतीय इतिहास में सबसे घातक विमानन आपदाओं में से एक थी।
- मृतक पायलट के पिता कैप्टन सुमित सभरवाल ने याचिका दायर कर घटना की न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की है।
- उन्होंने तर्क दिया कि प्रारंभिक विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) के निष्कर्ष "पक्षपातपूर्ण और अधूरे" थे, जो संभावित तकनीकी या प्रणालीगत विफलताओं को नजरअंदाज करते हुए पायलट की त्रुटि पर ध्यान केंद्रित करते थे।

### प्रमुख कानूनी और प्रक्रियात्मक पहलू

1. विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 का नियम 12: गंभीर हवाई दुर्घटनाओं में औपचारिक जांच को अनिवार्य करता है, खासकर जब 10 से अधिक मौतें होती हैं या अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ शामिल होते हैं।

- नियम 9 - प्रारंभिक जांच: एक सीमित, प्रारंभिक जांच की अनुमति देता है लेकिन नियम 12 के तहत एक पूर्ण पैमाने पर, औपचारिक जांच को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।
- न्यायिक हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट की पीठ (न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची) ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सहानुभूति व्यक्त की और आश्वस्त किया कि निर्णायक सबूतों के बिना पायलट की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया जाना चाहिए।

## विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि

- संस्थागत विश्वसनीयता और पारदर्शिता: विमानन दुर्घटनाएं जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच की मांग करती हैं। यदि रिपोर्टें पक्षपातपूर्ण या अधूरी दिखाई देती हैं, तो वे एएआईबी की स्वायत्तता और तकनीकी क्षमता में विश्वास को कम करने का जोखिम उठाती हैं।
- व्यावसायिक अखंडता की सुरक्षा: अदालत की टिप्पणियाँ मृत पेशेवरों की प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती हैं, जो बलि का बकरा बनाए बिना जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। यह दुर्घटना जांच में कर्मियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार के लिए एक मिसाल कायम करता है।
- प्रणालीगत सुरक्षा मुद्दे: दुर्घटना भारतीय नागरिक उड्डयन में विमान रखरखाव मानकों, नियामक निरीक्षण और सुरक्षा संस्कृति के बारे में व्यापक प्रश्न उठाती है। तकनीकी खराबी, प्रशिक्षण अंतराल, या पूर्व-उड़ान निरीक्षण में चूक के लिए भी जांच की आवश्यकता हो सकती है।
- कानूनी जवाबदेही: विमान जांच नियमों को लागू करके, यह मामला इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे कानूनी ढांचे विमानन जांच में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं, आईसीएओ (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन) मानदंडों के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के साथ पारदर्शिता को संतुलित करते हैं।

## समाप्ति

एयर इंडिया ड्रीमलाइनर दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप प्रक्रियात्मक अखंडता को बनाए रखने, प्रतिष्ठा की रक्षा करने और हाई-प्रोफाइल सार्वजनिक त्रासदियों में पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है। आगे बढ़ते हुए, भारत की विमानन सुरक्षा प्रणालियों में जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए एक न्यायिक रूप से निगरानी, साक्ष्य-आधारित जांच - मानव और तकनीकी दोनों आयामों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा।

## UPSC Mains Practice Question

**प्रश्न :** विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- सभी विमानन दुर्घटनाओं और घटनाओं के लिए नियम 9 के तहत प्रारंभिक जांच अनिवार्य है।
- विमान की जान जाने या महत्वपूर्ण क्षति से जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए नियम 12 के तहत एक औपचारिक जांच शुरू की जानी चाहिए।
- विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1 और 2      (b) केवल 2      (c) केवल 1 और 3      (d) 1, 2 और 3      **उत्तर : b)**

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 11 नवंबर, 2025 को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा शुरू की गई मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की वैधता और संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक सेट को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस मामले में चुनावी पारदर्शिता, मतदाता अधिकारों और लोकतांत्रिक वैधता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सहित राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया है कि यह कवायद "वास्तविक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)" के समान है।

## SC to hear appeals challenging legality of special revision of rolls on Tuesday

**Krishnadas Rajagopal**  
NEW DELHI

The Supreme Court on Friday urgently listed on November 11 detailed arguments addressing the very legality of the special intensive revision (SIR) of electoral rolls.

The Election Commission kicked off the exercise in Bihar on June 24 ahead of the ongoing State Assembly polls and, in the second phase, has planned to cover 51 crore voters in 12 States and Union Territories, including Tamil Nadu, West Bengal, Kerala and Puducherry.

A Bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi fixed the case for 11.15 a.m. on November 11 after advocates Prashant Bhush-



**Contested exercise:** Booth Level Officers distribute enumeration forms to voters as part of the SIR in West Bengal. PTI

an and Neha Rathi made an oral mentioning. The SIR case had been listed earlier on November 4.

However, the two judges could not take it up on November 4 as they were part of a Constitution Bench hearing another case on that day.

Simultaneously, a separate mentioning was made in the morning before a Bench headed by Chief Justice of India B.R. Gavai by advocate Vivek Singh appearing for Tamil Nadu's ruling party Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), which has also challenged

the SIR's constitutionality.

The Chief Justice told Mr. Singh that the case would be listed for hearing on November 11. It is highly likely that the DMK petition, which is a fresh one, would also come up before Justice Kant's Bench, along with the other pending petitions in the case.

### 'De facto NRC'

The DMK, also represented by senior advocates N.R. Elango and Amit Anand Tiwari, has described the SIR as a thinly-disguised, de facto National Register of Citizens (NRC) set to disenfranchise lakhs of voters and disrupt free and fair elections, and democracy in the country, which are part of the basic structure of the Constitution.

### पृष्ठभूमि और संदर्भ

- ईसीआई ने 24 जून, 2025 को एसआईआर अभ्यास शुरू किया, जिसकी शुरुआत बिहार में हुई और बाद में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करने के लिए इसका विस्तार किया गया।
- एसआईआर में बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से बूथ स्तर पर मतदाताओं का सत्यापन और गणना शामिल है।

- वकील प्रशांत भूषण और नेहा राठी और द्रमुक द्वारा दायर एक और याचिका सहित कई याचिकाओं ने इस कवायद की कानूनी वैधता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि इसमें वैधानिक समर्थन नहीं है और यह नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

## प्रमुख कानूनी और राजनीतिक मुद्दे

1. संवैधानिक वैधता: याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एसआईआर में स्पष्ट विधायी या संवैधानिक प्राधिकरण का अभाव है और यह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ईसीआई की शक्तियों से अधिक है, जो चुनावों के अधीक्षण और नियंत्रण से संबंधित है।
2. मताधिकार से वंचित होने का खतरा: डीएमके का तर्क है कि एसआईआर "वास्तविक एनआरसी" के रूप में कार्य कर सकता है, जो संभावित रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बड़े वर्गों को मताधिकार से वंचित कर सकता है, विशेष रूप से उन लोगों को जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं।
3. संघीय चिंताएं: चूंकि मतदाता सूची जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत राज्यवार तैयार की जाती है, इसलिए एसआईआर का केंद्रीकृत रोलआउट चुनाव आयोग की संघीय अतिरेक और राजनीतिक तटस्थता के बारे में चिंता पैदा करता है।
4. लोकतांत्रिक और बुनियादी संरचना निहितार्थ: याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को कमजोर करने वाली कोई भी प्रक्रिया असंवैधानिक होगी।

## विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि

1. चुनावी अखंडता बनाम प्रशासनिक दक्षता: ECI डुप्लिकेट या पुरानी प्रविष्टियों को हटाने के लिए एक तकनीकी सफाई और सत्यापन अभियान के रूप में SAR का बचाव करता है। हालांकि, आलोचकों को डर है कि उचित सुरक्षा उपायों के बिना कड़े सत्यापन से मतदाता बहिष्करण हो सकता है - विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के बीच।
2. एनआरसी चिंताओं के साथ तुलना: "वास्तविक एनआरसी" का संदर्भ भारत में नागरिकता और मतदाता पात्रता के आसपास की राजनीतिक संवेदनशीलता को उजागर करता है। एसआईआर का समय - चल रहे या आगामी राज्य चुनावों के दौरान - पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के संदेह को बढ़ाता है।
3. न्यायिक निरीक्षण और जवाबदेही: याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने के लिए सहमत होकर, सर्वोच्च न्यायालय चुनावी निष्पक्षता के संवैधानिक संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करता है। अनुच्छेद 324 के तहत ईसीआई की शक्तियों की न्यायालय की व्याख्या भविष्य के चुनाव सुधारों के लिए एक मिसाल कायम कर सकती है।
4. चुनाव सुधारों के लिए व्यापक निहितार्थ: यह मामला प्रशासनिक सुधारों और संवैधानिक गारंटी के बीच की सीमाओं को स्पष्ट कर सकता है, मतदाता सत्यापन, डिजिटल रोल प्रबंधन और समावेशन सुरक्षा उपायों के भविष्य को आकार दे सकता है।

## समाप्ति

विशेष गहन संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई चुनावी अखंडता और मतदाता समावेशन के बीच संवैधानिक संतुलन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रोल अपडेट आवश्यक हैं, बहिष्करण या अपारदर्शी के रूप में माना जाने वाला कोई भी उपाय लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता के विश्वास को कम करने का जोखिम उठाता है। यह निर्णय संभवतः चुनाव आयोग की शक्तियों की सीमा को परिभाषित करेगा और इस सिद्धांत की पुष्टि करेगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का आधार हैं।

### UPSC Prelims Practice Question

**प्रश्न :** भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा हाल ही में किए गए विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) अभ्यास के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एसआईआर का उद्देश्य बूथ स्तर के अधिकारियों के माध्यम से मतदाता सूची को सत्यापित और अद्यतन करना है।
2. एसआईआर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत किया जाता है।
3. एसआईआर को कथित तौर पर नागरिकों के वोट देने के अधिकार और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?**

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

**उत्तर: A)**

### UPSC Mains Practice Question

**प्रश्न:** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करें कि सुप्रीम कोर्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की जांच इस संवैधानिक सिद्धांत को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को कैसे दर्शाती है। (250 शब्द)

अगस्त 2024 से भारत में निर्वासन में रह रही बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुहम्मद यूनस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत आगामी 2026 के चुनावों की वैधता पर गहरा संदेह व्यक्त किया है। उनका हालिया साक्षात्कार लोकतांत्रिक मताधिकार से वंचित, राजनीतिक उत्पीड़न और बांग्लादेश की विदेश नीति, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के साथ इसके संबंधों के भू-राजनीतिक पुनर्मूल्यांकन पर चिंताओं पर प्रकाश डालता है।

# 'You cannot disenfranchise millions and say you are governing by consent'

Deposed Bangladesh PM says she is sceptical of the elections promised by the Yunus government; she promises a peaceful campaign and hopes the govt. will lift the ban on the Awami League, adding that Bangladesh-Pakistan ties should not be in disregard of 'most important relationship' with India

**INTERVIEW**

**Sheikh Hasina**

Kallol Bhattacharjee  
NEW DELHI

**B**angladesh's deposed Prime Minister Sheikh Hasina has spent the past 15 months in exile in India having fled her country on August 5, 2024. In this emailed interview, she speaks about the 2026 election, the trial in Bangladesh's International Crimes Tribunal, and the anti-uprising crackdown. Edited excerpts:

**Do you think you could have dealt with the uprising differently?**

Our security personnel on the ground were responding to fast-changing and violent circumstances. Mistakes were certainly made in the way some members of the security forces responded to the violence, but the decisions made by senior government officials were proportionate in nature, made in good faith and intended to minimise the loss of life.

**Do you think the interim government will hold the polls in February 2026 as announced?**

In 15 months of rule, the Yunus government has not held an election, despite calls from every corner of society and the international community. I am not confident that the February elections will go ahead. Even if the elections take place, they will not be legitimate if the Awami League remains banned from taking part. We are supported by tens of millions of Bangladeshis. You cannot disenfranchise millions of people and then claim you are governing by consent.

**What are your plans if the ICT gives you a death sentence?**

A guilty verdict is pre-determined, and I will not be surprised when it comes. But the ICT is a sham tribunal controlled by my political enemies, who are intent on destroying the Awami League as a political force. The call for a death sentence serves the same murderous aim.

I am not afraid to defend myself and my record in a fair and impartial court of law. That is why I have repeatedly challenged the Yunus regime to bring these charges before the ICC (International Criminal Court in The Hague). He won't do so, because there is no genuine evidence to support charges of crimes against humanity and he knows the ICC would acquit me. He also knows that the ICC would investigate the list of extra-judicial abuses against religious minorities and Awami League members that have happened under his rule.

**In a recent interview you called on Awami League supporters to boycott the polls.**

I have not called for a boycott. The point I was making was that millions of Awami League voters will not vote at all if they are denied the chance to support their preferred choice. This is simply an observation of the way Bangladeshi voters have tended to behave in previous elections when their party was not running. Bangladeshis voters are not interested in supporting second-choice candidates. And why should they? They deserve the opportunity to vote for politicians of their own choosing, rather than candidates foisted on them by the interim government.

We believe that the ban on the Awami League is damaging for all parties, as well as bad for the country, because it delegitimises government and governance in our country. We still hope that common sense may prevail and that this ban will be lifted. Whatever happens, our campaign will be peaceful. The last thing Bangladesh needs is yet more violent upheaval.

**Why do you think the interim government has brought the July Charter and what is the aim of the planned referendum on the charter?**

Bangladesh already has a Constitution, which has served it well for over 50 years. The country does not want or need a new charter. The charter does not reflect the voices of the people of Bangladesh. I am sceptical that the referendum will be democratic in nature.

**Do you approve of the interim government normalising Bangladesh-Pakistan ties?**

Of course, it makes sense to have a constructive relationship with Pakistan. But it must be measured and balanced, rather than pursued at headlong speed and with total disregard for our most important relationship, which is and always will be our relationship with India.

**Did you resign before leaving and if yes, then did you submit your resignation letter to anyone in Dhaka?**

I did not resign. I do not recognise, and have never recognised, the legitimacy of Dr. Yunus's so-called interim administration, which exists outside our constitution and has never been elected.

*(Full interview at [newsth.live/hasina](https://newsth.live/hasina))*

पृष्ठभूमि

- 2024 में बड़े पैमाने पर विद्रोह और राजनीतिक अशांति के बाद, शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग (AL) सरकार को हटा दिया गया था।
- अंतरिम "यूनस सरकार" ने राजनीतिक स्थिरता और संवैधानिक सुधार की आवश्यकता का हवाला देते हुए सत्ता संभाली।
- अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और शेख हसीना पर बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) में मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया गया था।
- फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले हैं, साथ ही एक नए "जुलाई चार्टर" पर प्रस्तावित जनमत संग्रह भी होगा, जिसके बारे में हसीना खेमे का दावा है कि यह मौजूदा संविधान को कमजोर करता है।

साक्षात्कार में हाइलाइट किए गए प्रमुख मुद्दे

1. डेमोक्रेटिक वैधता: हसीना ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी, अवामी लीग की भागीदारी के बिना चुनाव वैध नहीं हो सकते हैं – जो "लाखों लोगों द्वारा समर्थित" हैं। उनका तर्क है कि एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति को मताधिकार से वंचित करना सहमति से शासन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
2. न्यायिक स्वतंत्रता: उनका दावा है कि आईसीटी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा नियंत्रित एक "दिखावटी न्यायाधिकरण" है, जिसका अर्थ है राजनीतिक उन्मूलन के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं का हथियारीकरण।
3. संवैधानिक संकट: जुलाई चार्टर और नियोजित जनमत संग्रह को हसीना द्वारा मौजूदा संविधान को दरकिनार करते हुए बांग्लादेश के राजनीतिक ढांचे को फिर से लिखने के प्रयास के रूप में देखा जाता है।
4. विदेश नीति संतुलन: हसीना पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य करने के महत्व को स्वीकार करती हैं, लेकिन इस बात पर जोर देती हैं कि भारत बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है – जो भारत-बांग्लादेश रणनीतिक संबंधों में निरंतरता बनाए रखने का संकेत है।

## विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि

1. लोकतांत्रिक बैकस्लाइडिंग और राजनीतिक ध्रुवीकरण: यह स्थिति दक्षिण एशिया के लोकतंत्र परिदृश्य में एक गहराते सत्तावादी मोड़ को दर्शाती है। अवामी लीग का बहिष्कार, जो ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेशी राजनीति पर हावी रहा है, इसके लोकतंत्र की बहुलवादी प्रकृति को खतरे में डालता है।
2. संस्थागत विश्वसनीयता: आईसीटी का कथित राजनीतिकरण संक्रमणकालीन शासनों में न्यायिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की व्यापक चुनौतियों को दर्शाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र निकायों के भीतर चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
3. क्षेत्रीय भू-राजनीतिक निहितार्थ: भारत ने सतर्क दृष्टिकोण बनाए रखा है, हसीना की मेजबानी करते हुए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से बचा है। पाकिस्तान और संभवतः चीन के प्रति ढाका की विदेश नीति में बदलाव से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बदल सकता है।
4. आर्थिक और सामाजिक स्थिरता: लंबे समय तक राजनीतिक अनिश्चितता निवेशकों के विश्वास, आपूर्ति श्रृंखलाओं और बांग्लादेश के परिधान निर्यात क्षेत्र को कमजोर करने का जोखिम उठाती है, जो इसकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। आंतरिक अस्थिरता भारत की पूर्वी सीमा पर सीमा पार प्रवासन और सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकती है।

## समाप्ति

बांग्लादेश में चल रहा राजनीतिक संकट दक्षिण एशियाई लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। शेख हसीना के दावे राज्य की वैधता और राजनीतिक बहिष्कार के बीच तनाव को रेखांकित करते हैं, जो शासन, कानून के शासन और क्षेत्रीय स्थिरता के बारे में व्यापक सवाल उठाते हैं। भारत के लिए, एक संतुलित लेकिन सैद्धांतिक रुख बनाए रखना - प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बिना लोकतांत्रिक बहाली का समर्थन करना - द्विपक्षीय सद्भावना और क्षेत्रीय संतुलन दोनों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

## UPSC Mains Practice Question

**प्रश्न:** बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक संकट का जवाब देने में भारत की नीतिगत दुविधा का मूल्यांकन करें – लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ रणनीतिक हितों को संतुलित करना। (150 शब्द)

**In News : GS 3 : Indian Polity / Prelims**

2017 में पेश किया गया, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया, जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट शामिल हैं, जिससे एक एकीकृत राष्ट्रीय कर ढांचा तैयार हुआ। अक्टूबर 2025 के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया डेटा कुल राजस्व संग्रह में 4.6% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्शाता है जो ₹1,95,936 करोड़ हो गया है। हालांकि, राज्यवार विश्लेषण से एक उभरती हुई चिंता का पता चला है: जहां कुछ राज्यों ने मजबूत राजस्व वृद्धि हासिल की है, वहीं अन्य जीएसटी से पहले के राजस्व-जीडीपी अनुपात तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं।

**चर्चा में क्यों?**

जीएसटी राजस्व संग्रह के नवीनतम आंकड़े भारतीय राज्यों में विपरीत राजकोषीय प्रक्षेपवक्र को उजागर करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड उच्च जीएसटी संग्रह के बावजूद, कई राज्यों का कर-से-जीडीपी अनुपात 2017 से पहले की तुलना में कम है, जो राज्य की राजकोषीय स्वायत्तता के संभावित क्षरण का संकेत देता है। इस मुद्दे ने ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि:

1. सोलह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब जीएसटी से पहले के करों की तुलना में जीएसटी से राजस्व का एक छोटा हिस्सा अर्जित करते हैं।
2. उपयोजित करों से कुल राजस्व 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.1 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 5.5 प्रतिशत हो गया है।
3. पिछले सात वर्षों में औसत जीएसटी-से-जीडीपी अनुपात 2.6% है, जो जीएसटी से पहले के औसत 2.8% से कम है।

4. यह उलटफेर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के सबसे बड़े कर सुधार की प्रभावकारिता और जीएसटी के तहत राजकोषीय संघवाद की व्यवहार्यता पर सवाल उठाता है।

### जीएसटी ने कर परिदृश्य को कैसे बदल दिया?

1. एकीकृत कर ढांचा: जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा कर जैसे अप्रत्यक्ष करों को एक ही राष्ट्रीय संरचना के तहत समाहित कर दिया, जिससे अनुपालन सरल हो गया।
2. राजस्व प्रवाह में बदलाव: स्वतंत्र करों के तहत राज्यों द्वारा पहले एकत्र किया गया राजस्व अब एक साझा जीएसटी तंत्र के माध्यम से प्रवाहित होता है, जिससे राजकोषीय नियंत्रण बदल जाता है।
3. केंद्रीय निर्भरता में वृद्धि: राज्य राजस्व स्थिरता के लिए जीएसटी मुआवजा उपकर और केंद्र के हस्तांतरण पर निर्भर हो गए, जिससे राजकोषीय स्वायत्तता बदल गई।
4. अल्पकालिक लाभ: प्रारंभ में, जीएसटी ने बेहतर अनुपालन और औपचारिकता का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप अल्पकालिक राजस्व में वृद्धि हुई।

### जीएसटी के बाद राज्य कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं?

1. विविध परिणाम: पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, राज्य स्तर का जीएसटी राजस्व जीएसडीपी के हिस्से के रूप में पूर्व-जीएसटी स्तरों से पीछे है।
2. कर-से-जीडीपी अनुपात में गिरावट: सबसब्सटेड टैक्स से कुल राजस्व 6.1% (2015-16) से गिरकर 5.5% (2023-24) हो गया।
3. औसत से कम जीएसटी प्रदर्शन: सात साल का औसत जीएसटी-से-जीडीपी अनुपात (2.6%) जीएसटी से पहले के औसत (2.8%) से कम है।
4. शीर्ष प्रदर्शनकर्ता: महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा ने कर संग्रह में जीएसटी के बाद मजबूत वृद्धि दिखाई है।
5. पिछड़ने वाले राज्य: जम्मू-कश्मीर, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा ने जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में करों से राजस्व में गिरावट दर्ज की।

### कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं?

1. पूर्वोत्तर राज्यों: मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय और मणिपुर में कर-से-जीएसडीपी अनुपात में सुधार देखा गया।
2. उत्तरी और मध्य राज्यों: जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कर राजस्व में गिरावट देखी गई।
3. शहरी-ग्रामीण विभाजन: औद्योगिक और सेवा-उन्मुख राज्यों को लाभ हुआ, जबकि कृषि और संसाधन-निर्भर राज्यों ने राजकोषीय संकुचन देखा।
4. GST मुआवजा समाप्त: 2022 के बाद, जब GST मुआवजे की गारंटी समाप्त हो गई, तो मुआवजे के तंत्र पर बहुत अधिक निर्भर राज्यों के लिए राजकोषीय तनाव तेज हो गया।

## राजकोषीय संघवाद के बारे में आंकड़े क्या बताते हैं?

1. केंद्र-राज्य राजस्व असंतुलन: 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 20 अब जीएसटी से अपने राजस्व का 40% से कम एकत्र करते हैं , जिससे राजकोषीय विषमता और गहरी हो गई है।
2. मध्यम अवधि का राजकोषीय प्रभाव: 15वें वित्त आयोग ने 7% के GST-से-GDP अनुपात का अनुमान लगाया था, लेकिन वर्तमान डेटा खराब प्रदर्शन को दर्शाता है।
3. दीर्घकालिक राजकोषीय जोखिम: राज्य राजस्व स्वायत्तता में गिरावट सामाजिक व्यय और पूंजीगत व्यय को प्रभावित कर सकती है, जिससे क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ सकती हैं।
4. अनुपालन अक्षमता: कई कर स्लैब, रिफंड में देरी और अनुपालन बोझ छोटे राज्यों की जीएसटी दक्षता को प्रभावित करना जारी रखते हैं।

## समाप्ति

जीएसटी ने अपने एकीकरण के उद्देश्य को हासिल कर लिया है , लेकिन अभी तक राज्यों में राजस्व समानता सुनिश्चित नहीं की है। जबकि उच्च अनुपालन से औद्योगिक राज्यों को लाभ हुआ है, छोटे और कृषि राज्य वित्तीय रूप से तनावग्रस्त हैं। यह डेटा सहकारी संघवाद और राजकोषीय संतुलन की भावना के साथ संरेखित करने के लिए जीएसटी संरचना को फिर से व्यवस्थित करने, स्लैब को सरल बनाने, आईटी बुनियादी ढांचे में सुधार करने और राजकोषीय हस्तांतरण को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

### UPSC Prelims Practice Question

**प्रश्न:** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जीएसटी ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर दिया।
2. इसके लागू होने के बाद पहले पांच वर्षों के लिए राज्यों को जीएसटी मुआवजे की गारंटी दी गई थी।
3. भारत का जीएसटी-जीडीपी अनुपात 2017 से लगातार 3% से ऊपर बना हुआ है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?**

- (A) केवल 1 और 2                      (B) केवल 2 और 3  
(C) केवल 1 और 3                      (D) 1, 2 और 3

**उत्तर : A)**

### UPSC Mains Practice Question

**प्रश्न:** जांच करें कि जीएसटी के बाद राज्यों के कर-से-जीडीपी अनुपात में गिरावट ने भारत में राजकोषीय संघवाद और वित्तीय स्वायत्तता के सिद्धांतों को कैसे प्रभावित किया है। (250 शब्द)

## A wider SIR has momentum but it is still a test case

The Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls has now rolled into another batch of States and Union Territories after creating a new electoral roll in Bihar, a State which is now in the midst of its elections. The Election Commission of India (ECI)-ordered SIR in nine States and three Union Territories, as part of a staggered pan-India exercise, began on November 4, 2025. Being held in Tamil Nadu, West Bengal, Kerala, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Goa, Gujarat and the Union Territories of the Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and Puducherry, this phase includes some States which go to the polls next year, but excludes Assam (also poll-going), where issues of citizenship are on a different legal track.

The post-enumeration draft roll will be released on December 9, while the final roll will be released on February 7, 2026. This is only the ninth SIR in India's 75-year-old electoral history and the first one after 21 years. In June 2025, the ECI had decided to commence intensive revision 'in the entire country', also confirming that the schedule for all States 'shall be issued separately' after dealing with the immediate demands of Bihar. The ECI has ordered the respective governments to provide the workforce for SIR operations and not shift any officials connected with SIR work.

### No one size fits all

Under this SIR, 51 crore electors will be brought under intensive review – more than half the country's total electorate, spreading over 321 districts and 1,843 Assembly constituencies. It will involve 5.33 lakh polling stations and an equal number of Booth Level Officers (BLOs) and over 7.64 lakh booth level agents of political parties – a number which should see an upsurge as parties would be keen to safeguard their interests.

No two elections in India's long history of 18 national and over 400 Assembly elections were the same. This applies equally to the SIR in terms of upcoming challenges. The current ruling dispensations in Tamil Nadu and Kerala have taken a dim view of the SIR. The responses from West Bengal, with 7.7 crore electors, have been more combative; it is also a State with a large



**Akshay Rout**  
is former Director General, Election Commission of India

An electoral roll that has been intensely revised must be accepted, and political parties and the Election Commission should focus on upholding the trust of the Indian voter

number of constituencies bordering Bangladesh, where the issues of infiltration and citizenship are in focus. Uttar Pradesh, with 15.44 crore electors, and social complexities will not be a cakewalk either. The burden of migrations that electoral roll managers faced in Bihar does not hold true in other States. The efficiency of past summary revisions could differ from State to State, determining the quantum of the task. A statutory process such as a SIR has a certain uncompromising standardisation, but procedures may still require local customisation.

### A friendlier template

Bihar was a tough assignment being the first SIR exercise after two decades, and which saw protests and doubts. The foundational lines have been drawn now. Article 326 of the Constitution that defines an elector is getting highlighted as an equal truth as Article 324 in running elections. A SIR is legitimate but genuine electors need to be facilitated using a time frame that is adequate.

Transparency levels should satisfy citizen and political party. The clear order from the ECI, that "No document is to be collected from electors during the Enumeration Phase", should be a respite for millions of ordinary voters who are apprehensive the moment the word 'document' is mentioned. The draft roll will include all those whose signed enumeration forms, further rationalised and partly pre-filled, are received.

Only those electors whose names could not be matched/linked with previous SIR will be notified and heard before the registration official who decides on either inclusion or exclusion. Three visits to the house of each elector by the BLO is reassuring. The familiar Form 6 for new enrolment, Form 7 for deletion and Form 8 for correction will remain in place. Critics of the SIR have reasons to be satisfied with the modifications they could orchestrate; they should walk the next steps without grudge or imaginary fear.

Electoral roll management, largely a technical exercise, becomes cluttered when it becomes an echo chamber for issues such as infiltration or disenfranchisement that are hyped. The SIR is essentially a clean up exercise. The pan-India picture will hopefully not cause any shock this time. The bulk of exclusion will always come from

death, absence, shifting or duplication. The SIR method is different but complementary to the ECI's innovative efforts in a mobilisation of voters for registration and turnout in recent years. Voter turnout in the first phase of the Bihar election has proved this. The Supreme Court of India and other stakeholders have been concerned that the right of any voter should not be denied while trimming the flab. Under the SIR, BLOs have been specially directed to have at least 30 blank forms to facilitate the enrolment of new voters.

### An issue past debate

The SIR is a *fait accompli* and is past debate. An electoral roll that has been intensely revised is now a reality right up to polling day and the polling compartment. Political parties have changed their tune. From the 'Stop SIR' call, political parties are moving to make the best out of the exercise, even if they maintain their ideological opposition to it and still explore legal remedies. If parties in Tamil Nadu, Kerala and West Bengal have genuine fears about the exclusion of eligible people even as they go ahead with poll preparation, they need to act. They need to participate in the implementation of the SIR and make use of the decentralised structure of checks and balances and grievance mitigation.

More than the Supreme Court's sanction of the legitimacy of the SIR process, it is the 'zero appeals' in the Bihar process and field-level collaboration seen by party functionaries (notwithstanding political statements at the top) which will make election managers feel more confident in taking the SIR forward. When asked about possible resistance from States such as West Bengal, the Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar, pointed to the architecture of constitutional roles and duties and hoped for its seamless working.

While the fundamentals of the SIR have been validated, there will be hurdles in the execution in scale. It is here that the ECI will need to show skill and empathy. The ECI's legacy of competence demands that it should work continuously to uphold the trust of voters. It won the trial in Bihar and the new pan-India SIR will be another test case.

*The views expressed are personal*

### GS. Paper 2 भारतीय राजनीति

**UPSC Mains Practice Question** मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने में भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की भूमिका की आलोचनात्मक जांच करें। (150 शब्द)

संदर्भ:

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) शुरू किया है, जो 21 वर्षों के बाद इस तरह की पहली राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया है। यह एक तकनीकी लेकिन

राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रक्रिया है, जो भारत की लोकतांत्रिक मशीनरी की अखंडता के लिए केंद्रीय है। एसआईआर का रोलआउट बिहार सहित बड़े चुनावों से पहले प्रशासनिक तैयारी, समावेशिता और पारदर्शिता का परीक्षण करता है।

- भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में इसके कार्यान्वयन के बाद 4 नवंबर, 2025 को नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन संशोधन (SIR) शुरू किया। यह 21 वर्षों में पहला एसआईआर है और भारत के 75 साल के चुनावी इतिहास में केवल नौवां है।
- यह एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार का प्रतीक है जिसका उद्देश्य 321 निर्वाचन क्षेत्रों और 1,843 विधानसभा क्षेत्रों में भारत के लगभग आधे मतदाताओं के 51 करोड़ मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करना है। यह देखते हुए कि बिहार एसआईआर लॉजिस्टिक, कानूनी और राजनीतिक जटिलताओं से ग्रस्त एक परीक्षण मामला था, अखिल भारतीय रोलआउट भारत के चुनावी बुनियादी ढांचे और नागरिक समावेशन तंत्र के लिए एक तनाव परीक्षण के रूप में कार्य करता है।
- विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) 2000 के दशक की शुरुआत के बाद से सबसे व्यापक मतदाता सूची अपडेट का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य दोहराव को खत्म करना, नए मतदाताओं को शामिल करना और आगामी चुनावों से पहले स्वच्छ, सत्यापित रोल सुनिश्चित करना है। हालांकि, इस प्रक्रिया को नागरिकता सत्यापन, प्रवासन और राज्य-स्तरीय अनुकूलन से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो भारत की चुनावी संरचना की ताकत और कमजोरियों दोनों को प्रकट करता है।

### विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) क्या है?

1. परिभाषा: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा आयोजित मतदाता सूची का एक व्यवस्थित, राज्य-वार सत्यापन और संशोधन।
2. उद्देश्य: मतदाता पंजीकरण में सटीकता, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सक्षम करना।
3. स्केल: 321 निर्वाचन क्षेत्रों में 51 करोड़ मतदाताओं को कवर किया गया है, जिसमें 5.33 लाख मतदान केंद्र और 7.64 लाख बूथ-स्तरीय एजेंट शामिल हैं।
4. समयरेखा: ड्राफ्ट रोल 9 दिसंबर, 2025 को; अंतिम रोल 7 फरवरी, 2026 को।
5. मिसाल: 2004 में अंतिम व्यापक संशोधन के बाद 21 वर्षों में पहला एसआईआर।

### राष्ट्रव्यापी एसआईआर की आवश्यकता क्यों थी?

1. चुनावी अंतराल: नियमित वार्षिक अपडेट बड़े पैमाने पर प्रवासन, दोहराव और बहिष्करण त्रुटियों को संबोधित करने में विफल रहे।
2. बिहार का अनुभव: बिहार एसआईआर ने पुरानी नामावली, कई प्रविष्टियों और मृत मतदाताओं का खुलासा किया, जिससे ईसीआई को इस प्रक्रिया को देश भर में विस्तारित करने के लिए प्रेरित किया गया।
3. समावेशिता लक्ष्य: हाशिए पर रहने वाली और गतिशील आबादी (जैसे, प्रवासी, पहली बार मतदाता) को लोकतांत्रिक दायरे में लाना।
4. सर्वोच्च न्यायालय की चिंताएं: चुनावी वैधता के आधार के रूप में 'स्वच्छ और पारदर्शी' मतदाता सूची की आवश्यकता पर जोर दिया।

### एसआईआर नियमित रोल संशोधन से किस प्रकार भिन्न है?

1. सत्यापन की गहराई: इसमें डोर-टू-डोर गणना और अनिवार्य दस्तावेज़ सत्यापन शामिल है।

2. विकेंद्रीकृत जवाबदेही: बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को समावेशन/बहिष्करण निर्णयों के लिए निश्चित समय सीमा दी गई है।
3. पारदर्शिता जनादेश: पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतदाता के लिए 'दस्तावेज़' शब्द दर्ज किया जाना चाहिए।
4. तकनीकी एकीकरण: ECI दोहराव या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए डेटा एनालिटिक्स और क्रॉस-सत्यापन का उपयोग करता है।
5. लचीलापन: हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत है, अलग-अलग स्थानीय चुनौतियों और नागरिकता कानूनों (जैसे, असम) के कारण प्रक्रियाएं राज्य द्वारा भिन्न होती हैं।

### **एसआईआर चुनावी वैधता को कैसे मजबूत करता है?**

1. रोल की प्रामाणिकता: एक नागरिक-स्वामित्व वाला मतदाता आधार बनाता है, जिसे स्थानीय और डिजिटल दोनों जांचों के माध्यम से सत्यापित किया जाता है।
2. राजनीतिक दलों की भागीदारी: राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंट प्रणाली में सामूहिक जांच और विश्वास सुनिश्चित करते हैं।
3. संस्थागत सहयोग: राज्यों को समर्पित कर्मचारी प्रदान करने और प्रक्रिया के दौरान अधिकारी स्थानांतरण से बचने की आवश्यकता होती है।
4. त्रुटि न्यूनीकरण: 'शून्य अपील' मामलों में कमी, यानी, गलत बहिष्करण/समावेशन पर विवाद।
5. कानूनी मंजूरी: सर्वोच्च न्यायालय के सत्यापन द्वारा समर्थित, ईसीआई में संवैधानिक विश्वास को मजबूत करना।

### **शेष चुनौतियाँ क्या हैं?**

1. राज्य-विशिष्ट जटिलताएं: तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल ने पात्र मतदाताओं को बाहर रखने पर चिंता व्यक्त की है।
2. प्रशासनिक बोझ: 21,000+ अधिकारियों और राज्य सरकारों के बीच बड़े पैमाने पर समन्वय की आवश्यकता है।
3. सामाजिक संवेदनशीलता: असम और सीमावर्ती जिलों में नागरिकता सत्यापन राजनीतिक रूप से आरोपित है।
4. सार्वजनिक विश्वास की कमी: पहली बार या हाशिए पर रहने वाले मतदाताओं के अलगाव से बचने के लिए निरंतर संचार की आवश्यकता है।
5. पिछली मिसाल: बिहार के अनुभव से पता चला है कि डेटा त्रुटियाँ और देरी से शिकायत निवारण वैधता को नष्ट कर देते हैं।

### **समाप्ति**

विशेष गहन संशोधन भारत के चुनावी प्रशासन में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। हालांकि यह संस्थागत गति और पारदर्शिता को दर्शाता है, लेकिन इसकी सफलता जमीनी स्तर पर निष्पादन, अंतर-राज्य समन्वय और जनता के विश्वास पर निर्भर करती है। एसआईआर एक लॉजिस्टिक चुनौती और एक लोकतांत्रिक अवसर दोनों है, जो एक स्वच्छ, समावेशी और सत्यापन योग्य चुनावी आधार सुनिश्चित करने में ईसीआई की विश्वसनीयता के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है।